सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-172/2021 दिनांक- 05-अप्रैल-2021

प्रेस – विज्ञप्ति

थाना- जीयनपुर

रंगदारी मांगने के मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

दिनांक 04.04.2021 को वादी मुनौवर के लिखित तहरीर पर अभियुक्त नफीस पुत्र युनुस व रफीक पुत्र युनुस निवासीगण ग्राम धोरहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध रंगदारी मांगने के सम्बन्ध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 108/2021 धारा 386/323/504 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 04.04.2021 उ0नि0 केशर यादव मय उ0नि0 अखिलेशचन्द्र पाण्डेय मय हमराह का0 अवनीश सिंह ,का0 शशांक मिश्रा द्वारा तलाश वांछित अभियुक्त एवं रात्रि गस्त करते हुआ बाग खालिस मे मौजूद थे कि जरिये मुखविर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 108/2021 धारा 386/323/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रफीक पुत्र युनुस निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2. नफीस पुत्र युनुस निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ अंजान शहीद मे नुरुद्दीनपुर तिराहे पर मौजूद है और कही जाने के फिराक मे खडा है जिसके पास अवैध असलहा भी है । इस सूचना पर पुलिस बल बाग खालिस से रवाना होकर अन्जान शहीद नूरुद्दीन तिराहे पर पहुचकर वहा खड़े दो व्यक्ति को समय 6.30 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पुछने पर उन्होने अपना नाम क्रमशः रफीक पुत्र युनुस निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ तथा उसके पास से एक अदद तमंचा एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ तथा दूसरे ने अपना नाम नफीस पुत्र युनुस निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया। तमंचा रखने का अधिकार पत्र मागा गया तो नही दिखा पाया। बरामद अवैध तमंचा के सम्बन्ध में अभियुक्त रफीक पुत्र युनुस उपरोक्त के विरूध मु0अ0सं0- 109/21 धारा 3/25 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. रफीक पुत्र युनुस निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर आजमगढ़

2. नफीस पुत्र युनुस निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

सम्बन्धित अभियोग

मु0अ0सं0 108/21 धारा 386/323/504 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 109/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम रफीक

आपराधिक इतिहास— नफीस पुत्र युनुस

1. मु0अ0सं0 402/2020 धारा 323/325/342/506/386/308 भादवि थाना जीयनपुर
2. मु0अ0सं0 176/2017 धारा 509/500/354डी भादवि व 66 IT Act. मुम्बई में पंजीकृत
3. मु0अ0सं0 108/21 धारा 386/323/504 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-रफीक पुत्र युनुस

1. मु0अ0सं0 402/2020 धारा 323/325/342/506/386/308 भादवि थाना जीयनपुर
2. मु0अ0सं0171/2014 धारा 8/20 NDPS Act. थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 108/21 धारा 386/323/504 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 109/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. व0उ0नि0 केशर यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
3. का0 अवनीश सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
4. का0 शशांक मिश्रा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

सवां किलो गाँजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

आगामी त्रिस्तरिय पंचायत चुनाम के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,वारंटी,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक

पदार्थ/अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखविर से प्राप्त सूचना कि एक व्यक्ति नाजायज गाँजा लेकर श्रीरामगंज बजार मे सड़क किनारे खड़ा है। इस सूचना पर तत्काल उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मौके पर पहुँचकर श्रीरामगंज बाजार से एक व्यक्ति को 1 किलो 250 ग्राम नाजायज गाँजा के साथ समय करीब 19.45 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम संदीप गौड़ पुत्र शीत बसंत गौड़ निवासी चौकी दौना थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-59/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

संदीप गौड़ पुत्र शीत बसंत गौड़ निवासी चौकी दौना थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>

मु0अ0स0- 59/21 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी</u>

01 किलो 250 ग्राम नाजायज गाँजा।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

1. उ0नि0 शंकर कुमार यादव चौकी प्रभारी गोसाई की बजार थाना गंभीरपुर आजमगढ़।
2. हे0का0 मनोज कुमार सिंह चौकी गोसाई की बजार थाना गंभीरपुर आजमगढ़।
3. का0 सुनील कुमार चौकी गोसाई की बजार थाना गंभीरपुर आजमगढ़।
4. का0 रघुबीर यादव चौकी गोसाई की बजार थाना गंभीरपुर आजमगढ़ ।

थाना सरायमीर आजमगढ़

<u>अपमिश्रित देशी शराब के 124 पौवे ,अवैध नकली ढक्कन 110 अदद नकलीQR कोड 640 अदद ,पानी की टंकी(कुल केज) मे लगभग 6 लीटर अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार</u>

श्री रमेश यादव आबकारी निरीक्षक क्षेत्र -5 निजामाबाद जनपद आजमगढ़ मय टीम द्वारा चलाये जा रहे अभियान अवैध देशी/मिश्रित शराब की विक्री के सम्बन्ध मुखविर की सूचना पर थाना सरायमीर टीम के मार्गदर्शन मे दिनांक- 04.04.2021 को समय 22.05 बजेदेशी शराब ठेका कस्बा सरायमीर से02 नफर अभियुक्त मय अपमिश्रित देशी शराब के 124 पौवे ,अवैध नकली ढक्कन 110 अदद नकली QR कोड 640 अदद, पानी की टंकी(कुल केज) मे लगभग 6 लीटर अवैध शराब व विक्री के कुल 1,96,180/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व

बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0045/2021 धारा 420/467/468   भादवि व 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्तगणों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. संजय सिंह पुत्र रामलखन सिंह ग्राम रसूलपुर उर्फ पासी पुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 2. संजय कुमार पुत्र सीतल प्रसाद ग्रा0 बसन्तपुर थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर (उ0प्र0)

बरामदगी का विवरणः-

अपमिश्रित देशी शराब के 124 पौवे ,अवैध नकली ढक्कन 110 अदद नकली   QR कोड 640 अदद   ,पानी की टंकी(कुल केज) मे लगभग 6 लीटर अवैध शराब व विक्री के कुल 1,96,180/- रुपये बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. रमेश यादव आबकारी निरीक्षक क्षेत्र -5 निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
2. इन्द्रजीत कुमार राम आबकारी निरीक्षक क्षेत्र – 3 लालगंज जनपद आजमगढ़।
3. मनोज कुमार यादव आबकारी निरीक्षक क्षेत्र – 4 फूलपुर जनपद आजमगढ़।
4. व0उ0नि0 श्री शमशेर यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
5. शैलेश कुमार सिंह आबकारी सिपाही जनपद आजमगढ़।
6. प्रदीप कुमार सिंह आव0 सिपाही जनपद आजमगढ़।
7. शैलेन्द्र कुमार सिंह आबकारी सिपाही जनपद आजमगढ़।
8. का0 अश्वनी यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
9. का0 हिमांशू सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह

सोनहरा हत्याकांड के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह का0 आनंद चौरसिया का0 विजय प्रकाश कुशवाहा म0का0 सुषमा सिह मय वाहन सरकारी न0 यूपी 50 एजी 0425 चालक संतोष सिह के थाना हाजा से रवाना होकर विवेचनात्मक कार्यवाही में लगातार मशरूफ रहकर ग्राम सोनहरा में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में लगे का0 रघुबिन्द व का0 आदित्य मिश्रा को भी हमराह लेकर मुकदमा उपरोक्त में नामजद शेष वांछित अभियुक्तगण के घर बारी-बारी दबिश दी गई लेकिन अभियुक्तगण घर पर नही मिले , तत्पश्चात प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के अभियुक्तगणो के छिपने के स्थानो पर तलाश करते हु ए मार्टिनगंज की तरफ आ रहा थे कि ग्राम बेलवाना मे जरिये मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम सोनहरा मे हत्या के मामले मे वांछित अभियुक्त रामलवट यादव व प्रकाश यादव महुजा मोड़ पर किसी सवारी का इन्तजार कर रहे है और कही बाहर भागने की तैयारी मे है मुखबिर की सूचना पर विश्वाश करके प्रभारी निरीक्षक मय हमराह फोर्स व मुखबिर के महुजा मोड़ की तरफ आगे बढे महुजा मोड़ के थोड़ी दूर पहले मुखबिर इशारा करके बताया कि मोड़ के बाये तरफ जो दो ब्यक्ति खड़े है वही रामलवट यादव व प्रकाश यादव है कि इतना बताकर मुखबिर खास हट बढ़ गया कि एकाएक पुलिस बल द्वारा घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर महुजा मोड़ पर खड़े दोनो ब्यक्तियो को समय करीब 06.40 बजे कारण बताकर हिरासत पुलिस मे लिये गये। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम रामलवट यादव पुत्र धनई यादव उम्र करीब 43 वर्ष निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया तथा दूसरे ने अपना नाम ओमप्रकाश यादव उर्फ प्रकाश यादव पुत्र बेकारू यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया उपरोक्त गिरफ्तारशुदा दोनो अभियुक्तगण थाना हाजा के मु0अ0सं0 69/21 धारा- 147/323/504/302/34 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट में नामजद तथा वांछित अभियुक्त हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 69/21 धारा- 147/323/504/302/34 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट 6.आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रामलवट यादव पुत्र धनई यादव

2. ओमप्रकाश यादव उर्फ प्रकाश यादव पुत्र बेकारू यादव साकिनान ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह का0 आनंद चौरसिया का0 विजय प्रकाश कुशवाहा म0का0 सुषमा सिह

थाना अहरौला

02 नफर वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत अपर पलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ़ के कुशल निर्देशन मे उ0नि0 हरिशंकर उपाध्याय व उ0नि0 राजीव कुमार सिह मय हमराही पुलिस बल द्वारा सम्बन्धित न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़ का मुकदमा नम्बर 3247/2020 धारा 323/504/506 भादवि मे वारण्टीगण की तारिख पेशी दिनांक 23.04.2021 के अनुपालन मे वारण्टी 1. जगरोपन पुत्र मुरली प्रजापति 2. राजकुमार पुत्र मुरली निवासीगण ग्राम बहेरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को उनके घरों से दबिश देकर गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

सम्बन्धित मुकदमा नं0

मु0नं0- 3247/2020 धारा 323/504/506 भादवि

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण

1. जगरोपन पुत्र मुरली प्रजापति निवासीगण ग्राम बहेरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

2. राजकुमार पुत्र मुरली निवासीगण ग्राम बहेरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ0नि0 हरिशंकर उपाध्याय , उ0नि0 राजीव कुमार सिंह, का0 संदेश यादव, का शशिकान्त तिवारी, का0 कुल्दीप यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ ।

थाना जीयनपुर

02 वारंटी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के दिशा निर्देशन में उ0नि0 ज्ञान प्रकाश तिवारी मय हमराह का0 धन्नजय राय के रवाना होकर कार्यालय द्वारा प्राप्त वारन्ट मा0 न्यायालय FTC कोर्ट आजमगढ मु0नं0 389/21 धारा 498 A,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित वारन्टियो की तला श करते हुए उनके घर से ग्राम फत्तेपुर थाना जीयनपुर आजमगढ के घर दविश दिया गया तो दो व्यक्ति अपने घर के सामने चारपाई पर बैठे मिले जो पुलिस को अचानक देख कर भागना चाहे की हमराह का0 के मदद से मौके पर ही पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति यों से उनका नाम पता पुछा गया तो अपना नाम क्रमशः 1. संजय सिंह पुत्र समझावन सिंह नि0ग्रा0फत्तेपुर थाना जीयनपुर व 2. समझावन सिंह पुत्र जंगी सिंह नि0ग्रा0 फत्तेपुर थाना जीयनपुर आजमगढ बताये । पकडे गये व्यक्तियो को वारन्ट के सम्बन्ध में बताते हुए समय 7.45 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण</u>-

1. संजय सिंह पुत्र समझावन सिंह नि0ग्रा0फत्तेपुर थाना जीयनपुर

2. समझावन सिंह पुत्र जंगी सिंह नि0ग्रा0 फत्तेपुर थाना जीयनपुर आजमगढ

<u>सम्बन्धित मुकदमा</u>

मु0नं0 389/21 धारा 498A,323,504,506 भादवि

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

1. उ0नि0 ज्ञान प्रकाश तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 धनन्जय राय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>थाना- महराजगंज</u>

<u>02 वारंटी गिरफ्तार</u>

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** व **प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे** के नेतृत्व में दि नांक 04.04.21 को उ0नि0 राजेश प्रसाद मय हमराह के देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित/वारंटी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के NBW/वांरटी के गिरफ्तारी के अभियान के आदेश के क्रम में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि आप जिस NBW अभियुक्तगण की तलाश कर रहे है वह अपने घर पर ग्राम करमहाडिंगुरपुर में मौजूद

है इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराही कर्म0 गण के साथ वारंटीगण के घर पहुँचे तो घर के बाहर दरवाजे पर दो व्यक्ति बैठे मिले। दोनो व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो क्रमश: अपना नाम 1. रामधारी पुत्र सुन्नर व 2. वन्दना पत्नी श्रवण बताये , बाद बताने सम्बन्धित S.T No. 492/16 अ0सं0 29/16 धारा 308 , 323, 504, 506 IPC के वारंटीगण को समय करीब 09.15 बजे सुबह में हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 29/16 धारा 308, 323, 504, 506 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रामधारी पुत्र सुन्नर,
2. वन्दना पत्नी श्रवण निवासीगण करमहाडिंगुरपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे मय उ0नि0 राजेश प्रसाद मय हमराह का0 रणजीत सिंह, म0का0 खुशबू सिंह

थाना- महराजगंज

02 वारंटी गिरफ्तार

दिनांक 05.04.2021 को उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह उ0नि0 मय हमराही कर्म0 गण के देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित/वारंटी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के NBW/वांरटी के गिरफ्तारी के अभियान के आदेश के क्रम में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि आप जिस NBW अभियुक्तगण की तलाश कर रहे है वह अपने घर पर ग्राम चेरा कटघरा में मौजूद है इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराही कर्म0 गण के साथ वारंटीगण के घर पहुँचे तो घर के बाहर दरवाजे पर दो व्यक्ति बैठे मिले। दोनो व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो क्रमश: अपना नाम 1. श्यामलाल पुत्र सन्तराज व 2. सरिता पुत्री श्यामलाल बताये , बाद बताने सम्बन्धित मु0न0 – 812/2020 धारा 498 –A , 323, 504, 506 IPC व 3/4 DP एक्ट के वारंटीगण को समय करीब 09.40 बजे सुबह में हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0न0-812/2020 धारा 498 –A ,323, 504, 506 IPC व 3/4 DP एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता

1. श्यामलाल पुत्र सन्तराज उम्र 52 वर्ष 2. सरिता पुत्री श्यामलाल उम्र 24 वर्ष निवासीगण चेरा कटघरा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे मय उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह हे0का0 रमेश कुमार व महिला आरक्षी प्रतिमा पाण्डेय

थाना बिलरियागंज

01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज द्वारा मय फोर्स के अभियान के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टिगत आज दिनांक 05.04.2021 को देखभाल क्षेत्र

तलाश वांछित वारण्टी क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0नं0 2214/20 अरविन्द बनाम हरिनरायन धारा 452/427/379/504/506 भादवि थाना बिलरियागंज तारीख पेशी 23.04.21 मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 16 आजमगढ़ से सम्बन्धित वारण्टी विजेन्द्र राय इस समय अपने घर के दरवाजे के बाहर मौजूद हैं इस सूचना पर विश्वास करके थानाध्यक्ष मय हमराही के वारण्टी के घर ग्राम मानपुर पहुँचे तो वारण्टी अपने दरवाजे पर मौजूद मिला जिससे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम विजेन्द्र राय पुत्र हरिनरायन राय सा0 मानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया व कारण गिरफ्तारी बताकर वजाफ्ता बकायदा समय करीब 08.50 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

विजेन्द्र राय पुत्र हरिनरायन राय सा0 मानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-</u>

1-थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

2-उ0नि0 ओमप्रकाश यादव-द्वितीय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

3- का0 अमरजीत थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

4-म0का0 प्रतिभा चौहान थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

5- म0का0 पिंकी देवी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना तरवाँ

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्त/वारण्टी/ जिला बदर अभियुक्तो की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी व प्रभारी निरीक्षक तरवां स्वतंत्र कुमार सिहं के कुशल निर्देशन मे आज दिनाक 05.04.2021 को उ0नि0 रमेश कुमार पाण्डेय व हमराह के साथ मुखबिर खास की सूचना पर भरण पोषण वसूली वारण्टी हरिकेश पुत्र रामलाल ग्राम मौलानीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को ग्राम मौलानीपुर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है.

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 45 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।